## IMMEDIATE



# No.06-08/2010-SPB.II Government of India Ministry of Communications & IT Department of Posts

Dak Bhavan, New Delhi-110 001
Dated the a 2-1-2012

Τо

All Chief Postmasters General, All Postmasters General, Controller, Foreign Mails, Mumbai.

Subject:-

Department of Posts (Lower Selection Grade Posts)
Recruitment Rules, 2011 in respect of Posts of Post
Offices/ Railway Mail Service/ Savings Banks Control
Organisation Returned Letter Offices/ Foreign Posts/
Postal Stores Depot.

Sir/ Madam.

I am directed to say that consequent to the 6<sup>th</sup> Central Pay Commission's recommendations, the Deptt. Of Personnel & Training (DoPT) have revised the pay structures comprising the Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale and minimum service required in a particular scale/ grade for promotion.

Keeping in view the above, the existing Recruitment Rules of Lower Selection Grade Posts in Post Offices (POs)/ Railway Mail Service Offices (RMS)/ Savings Banks Control Organisation (SBCO)/ Returned Letter Offices (RLO)/ Foreign Posts (FP)/ Postal Stores Depot (PSD) have been reviewed and accordingly in supersession of the earlier Recruitment Rules Department of Posts (Lower Selection Grade Posts) (Amendment) Recruitment Rules, 2011 have been published in the Official Gazette (Extraordinary) vide GSR No. 62(E), dated 2.2.2011. There was a printing mistake in the Schedule to the said Rules against serial number 5 relating to Lower Selection Grade Accountants in Post Offices, in column (12) under the heading promotion. The word "Foreign" has been printed inadvertently in the English version before the words "Post Offices". The printing mistake has been rectified by notifying Department of Posts (Lower Selection Grade Posts) (Amendment) Recruitment Rules, 2011 in the Gazette of India vide GSR No. 706 (E), dated 21.9.2011. A copy each of the aforesaid Rules is forwarded herewith for your information and future guidance.

\* 1 A

4. It is requested that the posts in LSG cadres may be filled up as per the Recruitment Rules.

Yours faithfully,

(Alka Tewari)

Assistant Director General (SPN)

Encl: As stated

# Copy to:

- 1) PPS to Secretary (Posts)
- 2) PPS/ PS to all Members of Postal Services Board / JS & FA
- 3) Secretary (PSB)
- CGM (BD)/ CGM (MB)/ CGM (PLI/ Director, Postal Staff College, India, Ghaziabad.
- 5) All DDsG
- 6) Pr. Director of Audit (Postal), Delhi-110 054.
- 7) Additional Director General, Army Postal Service (APS), R.K. Puram, New Delhi-110 066.
- 8) All Directors, Postal Training Centres.
- Director, Postal Training Centre, Mysore-570 010. It is requested that this letter may please be hosted along with the Recruitment Rules on the website of the Department of Posts.
- 10) Director (VP)
- 11) All recognized Service Unions/ Associations/ Federations.
- 12) SPG/SPB.I/PE.I/PE.II/ SCT / DE/ SR Sections/Guard file

(Alka Tewari)

Assistant Director General (SPN)



# The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II \_\_खण्ड 3 \_\_उप-खण्ड (i)

PART II Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5221

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 21, 2011/भाद्र 30, 1933

No. 5221

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 21, 2011/BHADRA 30, 1933

# संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(डाक विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2011

सा,का,नि. 706(अ).—सॅबिधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा डाक विभाग (निम्न चयन ग्रेड पद) भर्ती नियमावली, 2011 में संशोधन हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, यथा :—

- (1) इन नियमों को डाक विभाग, (निम्न चयन ग्रेड पद)
   (संशोधन) भर्ती नियमावली, 2011 कहा जाएगा।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- डाक विभाग (निम्न चयन ग्रेड पद) भर्ती नियमावली,
   की अनुसूची में डाकघरों में (निम्न चयन ग्रेड) लेखाकारों से संबंधित क्र. सं. 5 के कालम (12) में, शीर्षक प्रोन्नित के अंतर्गत 'विदेश' शब्द हटा दिया गया है।

[फा. सं. 6-8/2010-एसपीबी-11]

राजकुमार, निदेशक (स्टाफ)

टिप्पणी: यूल नियम अधिसूचना सं. 6-8/2010-एसपीबी-II, दिनांक 31-1-2011 [सं. सा.का.नि. 62(अ), दिनांक 2-2-2011] के तहत राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे।

### MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Posts)
NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2011

GS.R. 706(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Department of Posts (Lower Selection Grade Posts) Recruitment Rules, 2011, namely:—

- (I) These rules may be called the Department of Posts (Lower Selection Grade Posts) (Amendment) Recruitment Rules, 2011.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Schedule to the Department of Posts (Lower Selection Grade Posts) Recruitment Rules, 2011, against serial number 5 relating to Lower Selection Grade Accountants in Post Offices, in Column (12), under the heading promotion, the word 'Foreign' shall be omitted.

[F. No. 6-8/2010-SPB-II]

RAJ KUMAR, Director (Staff)

Note: The Principal roles were published in the Official Gazette vide Notification No. 6-8/2010-SPB-II, dated 31-1-2011 [No. GS.R. 62(E), dated 2-2-2011].

# Here Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 521

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 2, 2011/माघ 13, 1932

No. 521

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 2011/MAGHA 13, 1932

संचार और सुचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(डाक विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2011

सा.का.नि. 62(अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय डाक एवं तार (चयन ग्रेड पद) भर्ती नियमावली, 1976, जहां तक यह निम्न चयन ग्रेड के पदों से संबंधित है तथा डाक विधाग (बचत वैंक नियंत्रण संगठन/आंतरिक जांच संगठन, सेन्ट्रल पेयरिंग यूनिट में निम्न चयन ग्रेड) भर्ती नियमावली, 1986 के अधिक्रमण में, सिवाय उन बातों के जो इस प्रकार के अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा करने से जिनका लोग किया जाना था, राष्ट्रपति, एतद्द्वारा संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डाक विभाग में डाकचरों, रेलवे मेल सेवा कार्यालयों, स्वतंत्र डाक भंडार डिपुओं, पुन: प्रेषण कार्यालयों, विदेश डाकचरों, सर्किल और क्षेत्रीय कार्यालयों तथा बचत चैंक नियंत्रण संगठन में निम्न चयन ग्रेड के पदों को भर्ती प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, यथा :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(।) इन नियमों को डाक विधाग (निम्न चयन ग्रेड पद) भर्ती नियमावली, 2011 कहा जाएगा।
  - (2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और बैतन बेंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वैतन बेंड तथा उनसे संबंधित ग्रेंड वेतन/वेतनमान, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कालम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अहंताएं आदि,—उक्त पदां पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अहंताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के कालम 5 से 14 में विनिर्दिष्ट हैं ।
  - 4. निर्महताएं.—वह व्यक्ति.—
    - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, से विवाह किया है, या
- (ख) किसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पर पर नियुक्ति का मात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह सम्प्रथन हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार के लिए लागू कानून के अधीन अनुसंय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शिवित,—अर्हा केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन हैं, वहां उसके लिए जो करण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसो उपर्वाध की किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

370 GW2011

6. व्यावृति.—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाल गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों, पूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित हैं।

			अन्	<del>रु</del> सूची		
पद का नाम	पदों की संख्या वर्गी		बिंड और वेतन/ मान	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	वर्षों का फायदा	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<ol> <li>डाकघरों में निम्न चयन ग्रेड</li> </ol>	6929 (2011)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' ( अराजपत्रित, अनुसचिवीय)	वेतन बैंड।		तम् नहीं	लागू नहीं
_ सीधे भर्ती के i	लिए अपेक्षित शैक्षिक उ	मैर अन्य अहर्ताएं		व्यक्तियों से और शैक्षिक	हए जाने वाले लिए विहित आयु अर्हताएं च्रोन्नत दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
	(8)			(	9)	(10)
	लागू नहीं			लागू :	नहीं	लागू नहीं
						1, 10
द्वारा अथवा प्रा	ति : भर्ती सीधे होगी तिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भरे जाने वाले पदों की	तथा विभिन्न अ	न्ति/प्रतिनियुः मेलन किया		प्रसा भर्ती की दशा	में वं ग्रेड जिनसे फ्रांन्निति/प्रतिनियुक्ति
(	11)				(12)	
प्रो	निति	52 ਸੌਂ ਟਿ ਧ੍ਰਹ	पांच वर्षों की प्पणी (i) : व ो कर ली है,	नियमित सेवा जहां ऐसे कनिः प्रोन्नित के लि	सहित । ष्ठ व्यक्तियों के संबं ए विचार किया जा	न बैंड-। में कायरत डाक सहायक, है। ध में, जिन्होंने अपनी अईक/पात्रता सेव रहा हो, वहां उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के ों कार्योवर्षि ऐसी अईक/पात्रत सेवा धे

टिप्पणी (i) : जहां ऐसे किन्छ व्यक्तियों के सर्विध में, जिन्होंने अपनी अईक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्ति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के नाम पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी कार्यावर्षि ऐसी अईक/पात्रता सेवा में अपेक्षित अईक/पात्रता सेवा में अपेक्षित अईक/पात्रता सेवा में अपेक्षित अईक/पात्रता सेवा में अपेक्षित अध्वा दो वार्यों, जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने ऐसी अईक/पात्रता सेवा पूरी करने वाले अपने किन्छ व्यक्तियों के साथ हो अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्तित के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पणी (ii) : प्रोन्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना करने के प्रयोजन से 1-1-2006 से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा (वह तारीख जिसको छटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिकारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संस्कृता लागू की गई है)

[भाग [[—खण्ड 3(	i)]		भारत का राजवत्र :	असाधारण			
				(12)			
		को वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर समनरूप वेतन/वेतनमान में की गई से माना जाएगा।					
यदि कोई विभागीय	पदोन्ति समिति है,	, तो उसकी संरचना				यां जिनमें भर्ती करने से पहले संघ आयोग से परानर्श करना आवश्यक	
, (	[13]		10.00			(14)	
विधागीय प्रोन्नित समिति में निष्न शामिल हे 1. डाक सेवा के एक निदेशक (मुख्यालय) 2. विधाग के वरिष्ठ समयमान/कनिष्ठ समयमान		यालय)	—अध्यक्ष			लागू नहीं	
समकक्ष स्तर	के दो अधिकारी	<del></del> -	—सदस्य				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
<ol> <li>रेलवे मेल सेवा कार्यालयों में निम्न चयन ग्रेड</li> </ol>	1197 (2011)* *कार्यभार के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' ( अराजपत्रित, अनुसचिवीय)	5200-20,200 ਨ. ਕੇਰਜ ਕੈੱਫ 1 ਸ਼ੇਫ ਕੇਰਜ 2800 ਨ.	चयन	নहीं	लागू नहीं	
	8)			(9)		(10)	
	्र पू नहीं			———— लागू नहीं		লাगু नहीं	
(11)				(12)			
प्रोन्न <u>ि</u>		प्रोन	ति :				
			)-20200 रु. + 240 च वर्षों की नियमित			<ul><li>इ-1 में कार्यरत छंटाई सहायक, ग्रेड</li></ul>	
		पूरी व नाम ' अपेहि हो औ	कर ली है, प्रोन्नित व पर भी विचार किय सत अहंक/पात्रता से रेर उन्होंने ऐसी अहंव	के लिए विचा ा जाएगा बश वा के आधे से क/पात्रता सेवा	र किया जा रहा तें कि उनकी का अधिक अथवा पूरी करने वाले	, जिन्होंने अपनी अईक/पात्रता सेव हो, वहां उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों से ार्यांबधि ऐसी अईक/पात्रता सेवा मे दो वर्षों, जो भी कम हो, से कम न अपने कानिष्ठ व्यक्तियों के साथ ईं धि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो	
		से 'पूर कंन्द्री	र्व किसी अधिकारी य वेतन आयोग की	हारा नियमित सिफारिशों के	आधार पर की आधार पर संशो	णना करने के प्रयोजन से 1-1-2006 गई सेवा (घह तारीख जिसको छटे धित वेतन संरचना लागू की गई है) रूप वेतन/वेतनमान में की गई सेव	

माना जाएगा ।

–सदस्य

समकक्ष स्तर के दो अधिकारी

[भाग II—खण्ड 3(	(i)]		भारत का राजपत्र :	असाधारण		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<ol> <li>मुंबई में विद्रेश डाकघर में निम्न चयन ग्रेड</li> </ol>	54 (2011)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीव सेवा, समृह 'ग' (अराजपत्रित, अननुसचिवीय)	5200-20,200 ਨ. ਬੇਰਜ ਕੈਂड-1 ਸ਼ੇਤ ਬੇਰਜ 2800 ਨ.	चयन	नहीं	लागू नहीं
(	8)		<del> </del>	(9)		(10)
	गू नहीं			लागू नह	न ते	लागू नहीं
- 22-5		-	·	(15)		
(11) प्रोन्ति		<u> </u>		(12)		
		हो अँ अग्ले (ii) से पूर केन्द्री को	र उन्होंने ऐसी अईक । उच्च ग्रेड में ग्रोनार्त : प्रोन्ति के लिए उ ई किसी अधिकारी द य वेतन आयोग की ि	/पात्रता सेवा के लिए अप रूनतम अर्हक ारा नियमित सफारिशों के	पूरी करने वाले ानी परिवीक्षा अव सेवा की गण- आधार पर की आधार पर संश	दो वर्षों, जो भी कम हो, से कम अपने कांनष्ठ व्यक्तियों के साथ विध सफलतापूर्वक पूरी कर ली ह ता करने के प्रयोजन से 1-1-20 गई सेवा (वह तारीख जिसको व विधत वेतन संरचना लागू की गई रूप वेतन/वेतनमान में की गई से
<del></del> .	(13)					(14)
विभागीय प्रोन्निति ।. डाक सेवा के  2. विभाग के वर्षि	समिति में निम्न एक निदेशक् (मुख रेष्ड समयमान/कनिष क्रे दो अधिकारी	यालय)	—अध्यक्ष —सदस्य			लागू नहीं
7.1						<del></del>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<ol> <li>डाकअरॉ में निम्न चयन ग्रेड लेखाकार</li> </ol>	322 (2011)*  *कार्यभार के आधार पर  परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (अराजपत्रित, अननुसचिवीय)	5200-20,200 ਨ. ਕੇਨਜ ਕੈਂड-! ਪ੍ਰੇਤ ਕੇਨਜ 2800 ਨ.	चयन	नहीं	लागू नहीं

परीक्षा जन्म की हो।

प्रांनित

(12)

टिप्पण (i) : जहां ऐसे किन्छ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्ति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे विरिष्ठ व्यक्तियों के नाम पर भी विचार किया जाएगा बशर्त कि उनकी कार्यावधि ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा में अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्षों, जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी करने वाले अपने किन्छ व्यक्तियों के साथ ही अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्तित के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर लो हो। (ii) : प्रोन्तित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना करने के प्रयोजन से 1-1-2006 से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा (वह तारोख जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है) को वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर समनरूप वैतन/वैतनमान में की गई सेवा माना जाएगा।

	(13)					(14)	
<ol> <li>हाक सेव</li> <li>विभाग के</li> </ol>	नाति समिति में निघ्न । के एक निदेशक (मुख विख्य समयमान/कनिष	.—अध्यक्ष		लागू नहीं			
समकक्ष	स्तर के दो अधिकारी		—सदस्य				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
त. स्वतंत्र हाक भंडार हिषु भं निम्न च ग्रेड	ओं *कार्यभार के	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" ( अराजपत्रित, अनुसचिवीय)	5200-20200 ਨ. ਕੋਰਜ ਕੈੱਡ-1, ਸ਼ੇਡ ਕੋਰਜ 2800 ਨ.	चयन	नहीं <sub>.</sub>	लागू नहीं	
	(8)			(9)		(10)	
	लाग् नहीं		-	नामू नहीं		লাশু नहीं	
(1	13)			(12)			

प्रोनति :

5200-20200 रु. ÷ 2400 रु. के ग्रेड वेतन के वेतन बैंड-ा में स्वतंत्र डाक भंडार डिजुओं में कार्यरत छंटाई सहायक ग्रेड में पांच वर्षों की नियमित सेवा सहिता।

टिप्पण (i) : जहां ऐसे किनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक णत्रका सेवा पूरे कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे वरिष्ट व्यक्तियों के नाम पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी कार्यावधि ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा में अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा में अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्षों, जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी करने वालों अपने किनिष्ठ व्यक्तियों के साथ ही अगते उच्च ग्रेड में प्रोन्तित के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। (क) : प्रोन्तित के लिए न्यून्तम अर्हक सेवा की गणना करने के प्रयोजन से 1-1-2006 से, पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा (वह तारीख जिसकों छंटे केन्द्रीज वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर समनरूप वेतन/वेतनमान में की गई सेवा माता जाएगा।

		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
. (	(13)					(14)
विभागीय प्रोन्तति	समिति में निभ्न	 शाभिल होंगे :				लागू नहीं
	एक निदेशक (मुख		—अध्यक्ष			
2. विभाग के वरि	एउ समयमान/कानिष	ठ समयमान अथवा				<b></b>
समकक्ष स्तर	के दो अधिकारी		सदस्य			<b>%</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<ol> <li>सर्किल कार्यालय</li> </ol>	रों 250 (2011)*	साधारण केन्द्रीय	5200-20200 ফ.	चयन	नहों	लागू नहीं
और क्षेत्रीय	*कार्यभार के	सेवा, समूह 'ग'	वेतन बैंड-1,			
कार्यालयाँ में	अनुसार	(अराजपत्रित,	ग्रेड वेतन			
	परिवर्तन किया	अनुसचिवीय)	2800 ফ.			
1111 441 40	जा सकता है।	5,2(0,4-1,1)	2000 (4)			
	497(11 6 1					<u> </u>
	8)		•	(9)		(10)
	गू नहीं			लागू नहीं		लागू नहीं
(11)				(12)		
 प्रोनति		प्रोन	ति :			
		5200	1_20200 <del>1</del> ± 24	ᅂᇎᆓᆔ	न बेबर के बेबर	न बैंड-। में सार्किल कार्यालयों
						च वर्षों को नियमित सेवा सहित
		नाम अपेरि हो अ	पर भी विचार किया क्षेत अर्हक/पात्रता सेव गैर उन्होंने ऐसी अर्हव	' जाएगा बश वा के आधे सं 5/पात्रता सेवा	र्ते कि उनकी क ने अधिक अथवा । पूरी करने वाले	हो, कहां उनसे वरिष्टं व्यक्तियों तर्याविध ऐसी अर्हक/पात्रता सेव दो वर्षों, जो भी कम हो, से का अपने कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ विध सफलतापूर्वक पूरी कर ली व
		से पूर वेतन	हं किसी अधिकारी द्वा आयोग की सिफारिश	रा नियमित अ ों के आधार प	ाधार पर की गई र सर संशोधित जेतन	ता करने के प्रयोजन से 1-1-20 सेवा (वह तारीख जिसको छडे केंन संस्कृता लागू को गई है) को है न मैं की गई सेवा माना जाएगा ।
	(13)				-	(14)
	ाउ) समिति में निम्न	जािक्स क्रेंगे				
			216-101			लागू चड़ीं
	एक निदेशक (मुख		अध्यक्ष			
	ष्ठि समयमान/कनिष्	ठ समयमान अथवा	***************************************			
समकक्ष स्तर	के दो अधिकारी		—सदस्य			
(1)		(2)	(4)	(5)	(6)	(2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9. बचत बैंक	303 (2011)*	साधारण केन्द्रीय	5200-20200 ह.	चयन	ਜ <i></i> ਲੀਂ	लागू नहीं
नियंत्रण संगठन	*कार्यभार के	सेवा, समूह 'ग'	वेतन बैंड-!,			
में किया चयन	आधार पर	(अराजपत्रित,	ग्रेड वेतन			
ग्रेड	परिकर्तन किया	अनुसन्वयीय)	2800 ফ.			
	जा सकता है ।					

ाग II—खण्ड 3(i)]	भारत का राजपत्र : असाधारण		_				
(8)	(9)	(10)					
लागू नहीं	लागू नहीं	ं लागू नहीं					
(11)	(12)						
प्रोन्ति	प्रोन्ति :						
,		5200-20200 रु. + 2400 रु. के ग्रेड वेतन के वेतन बैंड-। में बचत बैंक नियंत्रण संगठ में कार्यरत डाक सहायक, ग्रेड में पांच वर्षों को नियमित सेवा सहित ।					
	पूरी कर ली है, प्रोन्ति के लिए विचार कि नाम पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि अपेक्षित अहंक/पात्रता सेवा के आधे से अधि	उनको कार्यवधि ऐसी अहंक	/पात्रता सेव				
	हो और उन्होंने ऐसी अर्हक/पांत्रता सेवा पूरी अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी प	करने वाले अपने कानिष्ठ व्यक्ति	तयों के साध				
	हो और उन्होंने ऐसी अर्हक/पंत्रता सेवा पूरी अ अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नित के लिए अपनी प (ii) : प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा से, पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आध केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार को वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार	करने वाले अपने कानिष्ठ व्यक्ति रिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक प् की गणना करने के प्रयोजन र पर की गई सेवा (वह तारी गर पर संशोधित वेतन संरचना र	तयों के साथ मूरी कर ली से 1-1-2 ख जिसकी लागू की गई				
	हो और उन्होंने ऐसी अर्हक/पांत्रता सेवा पूरी व अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नित के लिए अपनी प (ii) : प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा से, पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आध केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आध	करने वाले अपने कानिष्ठ व्यक्ति रिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक प् की गणना करने के प्रयोजन र पर की गई सेवा (वह तारी गर पर संशोधित वेतन संरचना र	तयों के साथ मूरी कर ली से 1-1-2 ख जिसकी लागू की गई				
	हो और उन्होंने ऐसी अर्हक/पंत्रता सेवा पूरी अ अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नित के लिए अपनी प (ii) : प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा से, पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आध केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार को वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार	करने वाले अपने कानिष्ठ व्यक्ति रिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक प् की गणना करने के प्रयोजन र पर की गई सेवा (वह तारी गर पर संशोधित वेतन संरचना र	तयों के साथ मूरी कर ली से 1-1-2 ख जिसकी लागू की गई				
(13)	हो और उन्होंने ऐसी अर्हक/पंत्रता सेवा पूरी अ अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नित के लिए अपनी प (ii) : प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा से, पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आध केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार को वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार	करने वाले अपने कानिष्ठ व्यक्ति रिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक प् की गणना करने के प्रयोजन र पर की गई सेवा (वह तारी गर पर संशोधित वेतन संरचना र	तयों के साध मूरी कर ली से 1-1-2 ख जिसकी लागू की गई				
	हो और उन्होंने ऐसी अर्हक/पांत्रता सेवा पूरी अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नित के लिए अपनी प अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नित के लिए अपनी प (ii) : प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा से, पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आध केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार को वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार माना जाएगा ।	करने वाले अपने कांनिष्ठ व्यक्ति रिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक प्र की गणना करने के प्रयोजन र पर की गई सेवा (वह तारी तर पर संशोधित वेतन संरचना र पर समनुरूप वेतन/वेतनमान	तयों के साध मूरी कर ली से 1-1-2 ख जिसकी लागू की गई				
भागीय प्रोन्नित समिति में निम्न शार्गि	हो और उन्होंने ऐसी अर्हक/पांत्रता सेवा पूरी अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नित के लिए अपनी प (ii) : प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा से, पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आध केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार को वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार माना जाएगा ।	करने वाले अपने कांनेष्ठ व्यक्ति रिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक प्र की गणना करने के प्रयोजन ार पर की गई सेवा (वह तारी मेर पर संशोधित वेतन संरचना र पर समनुरूप वेतन/वेतनमान	तयों के साध मूरी कर ली से 1-1-2 ख जिसकी लागू की गई				
(13) भागीय प्रोन्निति समिति में निम्न शागि . डाक सेवा के एक निदेशक (मुख्याल . विभाग के विरिष्ठ समययान/किनिष्ठ स	हो और उन्होंने ऐसी अर्हक/पांत्रता सेवा पूरी अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नित के लिए अपनी प (ii) : प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा से, पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आध केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार माना जाएगा !	करने वाले अपने कांनेष्ठ व्यक्ति रिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक प्र की गणना करने के प्रयोजन ार पर की गई सेवा (वह तारी मेर पर संशोधित वेतन संरचना र पर समनुरूप वेतन/वेतनमान	तयों के साथ मूरी कर ली से 1-1-2 ख जिसकी लागू की गई				

[फा. सं. 6-8/2010-एसपीबी-11]

सूरज भान, सहायक महानिदेशक (एसपीएन)

### MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Posts)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 2011

- G. S. R. 62(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Indian Posts and Telegraphs (Selection Grade Posts) Recruitment Rules, 1976 in so far as they relate to the posts of Lower Selection Grade and the Department of Posts (Lower Selection Grade in Savings Bank Control Organisations/Internal Check Organisation, Central Pairing Unit) Recruitment Rules, 1986, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Lower Selection Grade in Post Offices, Railway Mail Service Offices, Independent Postal Stores Depots. Returned Letter Offices, Foreign Post Offices, Circle and Regional Offices and Savings Banks Control Organisation in the Department of Posts in the Ministry of Communications and Information Technology, namely:—
- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Department of Posts (Lower Selection Grade Posts) Recruitment Rules, 2011.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of posts, classification and pay band and grade pay/scale of pay.—The number of post, its classification and the pay band and grade pay/scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

37055111-2

- 3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.
  - 4. Disqualification.—No person,—
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

### SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band, and Grade Pay/ Pay Scale	Whether Selection post or Non- selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Ø
1. Lower Selection Grade in Post Offices	6929 (2011)* *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', (Non-Gazetted, Ministerial)	Rs. 5200- 20200 PB-1, Grade Pay Rs. 2800	Selection	No - '	Not applicable
	Educational and other qualifications required for direct recruits			other age an ifications port recruits we of promote	Period of probation, if any	
	8)			(9)		(10)
Not ap	oplicable	·	Not applicable			Not applicable
recruitment or absorption and	cruitment: Who by promotion of percentage of the arious methods	r by deputation/				eputation/absorption, grades /absorption to be made
(	711)				(12)	
Promotion		Promotion: Postal Assistants working in Pay Band-1 of Rs. 5200-20200 + Grade Pay Rs. 2400 with five years of regular service in the grades.				

Note (i): Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

Note (ii): For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion; the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(13)

(14)Not applicable

Departmental Promotion Committee consisting of:

-Chairperson

1. A Director of Postal Services (Headquarters)

2 Two officers of the level of Senior Time Scale/ Junior Time Scale or equivalent of the Department -Members

(1)(2)(3) (4) (5) (6)2 Lower Not applicable 1197 (2011)\* General Selection Rs. 5200-No Selection \*Subject Central 20200 Grade in to variation PB-1, Grade Service, Railway dependent Group 'C', Pay Mail (Non-Gazetted, Rs. 2800 ٥n Service workload. Ministerial) Offices

(8) (9) (10)Not applicable Not applicable Not applicable

(11)

(12)

Promotion

Promotion:

Sorting Assistants working in Pay Band-1 of Rs. 5200-20200 + Grade Pay Rs. 2400 with five years of regular service in the grades.

Note (i): Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service

or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

Note (ii): For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

(13)

(14)

### Departmental Promotion Committee consisting of:

Not applicable

- 1. A Director of Postal Services (Headquarters)
- -Chairperson
- 2 Two officers of the level of Senior Time Scale/
  - -Junior Time Scale or equivalent of the Department

-Members

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. Lower	65* (2011)	General	Rs. 5200-	Selection	No	Not applicable
Selection	*Subject	Central	20200			
Grade in	to variation	Service,	PB-1, Grade			
Returned	dependent	Group 'C'	Pay			
Letter	on	(Non-Gazetted,	Rs. 2800			
Offices	workload.	Ministerial)				

(11)

(12)

### Promotion

### Promotion:

Postal Assistants working in returned Letter Offices in Pay Band-1 of Rs. 5200-20200 + Grade Pay Rs. 2400 with five years of regular service in the grades.

Note (i): Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

Note (ii): For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

[भाग []—खण्ड ३(	(i)]		भारत का र	जपत्र : असाधारण	<u> </u>	13		
	(1:	3)			(14)			
Departmental F	romotion Co	mmittee consistu	ng of :—			Not applicable.		
1. A Director	of Postal Serv	ices (Headquarte	rs) —Ch	airperson				
		of Sertior Time So ivalent of the Dep		Members				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
4. Lower	54 (2011)*	General	Rs. 5200-	Selection	No	Not applicable		
Selection	*Subject	Central	20200					
Grade in	to variation	Service,	PB-1 Grade					
Foreign Post	-	Group 'C'	Pay					
Office at	OII	(Non-Gazetted,	Rs. 2800					
Mumbai	workload.	Ministerial)			_			
(8)	_			(9)		(10)		
Not app	licable			Not applicab	Not applicable			
						5		
(11)	<b>)</b>			(1	2)			
Promotion	on		Band-lo service in Note (i) service a be consisteligibility or two years probation their jun service.	ssistants work: fRs. 5200-2020 n the grade. : Where juniors are being considered provided y service by mo ears, whicheve n period for p iors who have	on + Grade Pa who have co dered for pro- it they are no are than half or its less, and romotion to already cor	gn Post Office at Mumbai in Pay ay Rs. 2400 with five years of regular completed their qualifying/eligibility comotion, their seniors would also at short of the requisite qualifying/ of such qualifying/eligibility service have successfully completed their the next higher grade along with inpleted such qualifying/eligibility		
	-		promotion to 1-1-2 the 6th C	on, the service 006 (the date f CPC recomment the rendered in the	rendered on rom which t dations has he correspor	g minimum qualifying service for a regular basis by an officer prior the revised pay structure based on been extended) shall be deemed to ading pay/pay scale extended based of Commission.		
	(1	3)		_		(14)		
Departmental 1	Promotion Co	mmittee consisti	ng of :—			Not applicable.		
_		vices (Headquart	_	airperson		••		
		of Senior Time S nivalent of the De		-Members				

14		THE GAZI	ETTE OF INI	DIA: EXTRAC	[PART [I-SEC. 3(i)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	n
5. Lower Selection Grade Accountage in Post Offices	322 (2011)*  *Subject to variation ts dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' (Non-Gazetted, Ministerial)	Rs. 5200- 20200 PB-  Grade Pay Rs. 2800	Selection	No	Not applicable
						(10)
Not ap	plicable			(9) Not applicab	ole	(10) Not applicable
				_		
(1 Promo	1)		Promoti	(1:		elled
			Rs. 5200-the grade Accounts Note (i): service a be considered by probation their junch service.  (ii): For promotion to 1-1-20 the 6th County to the service of the service	20200 + Grade who have passents Examinati Where juniors are being considered provided y service by moders, whichever a period for priors who have the purpose on, the service po6 (the date file PC recommented to the purpose of the p	Pay Rs. 2400 vesed the Post Oon. who have come dered for prometing are not some than half of a rethan half of a romotion to the already composed computing a rendered on a rome which the dations has been	Post Offices in Pay Band-10f with five years of regular service in ffices and Railway Mail Service in ffices and Railway Mail Service in fices and Railway Mail Service pleted their qualifying/eligibility metion, their seniors would also their of the requisite qualifying/such qualifying/eligibility service successfully completed their is next higher grade along with leted such qualifying/eligibility minimum qualifying service for regular basis by an officer prior revised pay structure based on en extended) shall be deemed to ng pay/pay scale extended based ommission.
	(1	3)		-		(14)
<ol> <li>A Directo</li> <li>Two office</li> </ol>	r of Postal Servers of the level	mmittee consistly vices (Headquarte of Senior Time So tivalent of the Dep	τs) —Ch cale/	airperson Members	1	Vot applicable.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6. Lower Selection Grade Accountant in Railway Mail Service	*46 (2011)* *Subject to variation s dependent on workload	General Central Service, Group 'C' (Non-Gazetted, Ministerial)	Rs. 5200- 20200 PB-1 Grade Pay Rs. 2800	Selection	No	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable
• • • •		

(11)

Promotion Promoti

Postal Assistants working in Independent Postal Stores Depots in Pay Band-1 of Rs. 5200-20200 + Grade Pay Rs. 2400 with five years of regular service in the grade.

Note (i): Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

Note (ii): For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

(13)

(14)

# Departmental Promotion Committee consisting of:

Not applicable

1. A Director of Postal Services (Headquarters)

-Chairperson

2. Two officers of the level of Senior Time Scale/ Junior Time Scale or equivalent of the Department

—Members

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8. Lower Selection Grade in Circle Offices and Regional Offices	250 (2011)* *(Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'C' (Non-Gazetted, Ministerial)	Rs. 5200- 20200 PB-1 Grade Pay Rs. 2800	Selection	No	Not applicable .

(9)	(10)	
Not applicable	Not applicable	
	(9) Not applicable	

(11)

Promotion

### Promotion:

Postal Assistants working in Circle Office and Regional Office in Pay Band-1 of Rs. 5200-20200+ Grade Pay Rs. 2400 with five years of regular service in the grade.

Note (i): Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with

di C...

their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

Note (ii): For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

(13)(14)Departmental Promotion Committee consisting of: Not applicable 1. A Director of Postal Services (Headquarters) ---Chairperson 2. Two officers of the level of Senior Time Scale/ Junior Time Scale or equivalent of the Department -Members (1) (2)(3)(4) (5)(6)(7)9. Lower Rs. 5200-303 (2011)\* General Selection No Not applicable 20200 Selection \*Subject Central Grade in to variation Service, PB-1 Grade Savings dependent Group 'C' Pay Banks (Non-Gazetted, Rs. 2800 Control workload Ministerial) Organisation (9) (10)(8) Not applicable Not applicable Not applicable (12)(11)Promotion Promotion:

Postal Assistants working in Savings Banks Control Organisations in Pay Band-1 of Rs. 5200-20200 + Grade Pay Rs. 2400 with five years of regular service in the grades.

Note (i): Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

Note (ii): For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

18	THE GAZETTE OF II	[PART II—Sec. 3(i)]		
	(13)	(14)		
Dė	partmental Promotion Committee consisting of:	Not applicable		
١.	A Director of Postal Services (Headquarters)	—Châirperson		
<ol> <li>Two officers of the level of Senior Time Scale/ Junior Time Scale or equivalent of the Department</li> </ol>		—Members		
		Vi Vi	(F. No. 6-8/2010-SPB 111	

SURAJ BHAN, Assistant Director General (SPN)